

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 1821/1993
CNR: RJHC020028251993 | URN: CW / 4146U / 1993

The Riico Empl. Fedration

-----Petitioner

Versus

The Riico Ltd. And State

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mahendra Shah Sr. Adv. with Mr. Akshit Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Virendra Lodha Sr. Adv. with Mr. Jai Lodha Mr. Ankit Rathore Mr. Sachin Singh Rathore for Mr. S.S.Naruka AAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

04/08/2026

प्रार्थना-पत्र संख्या **01/2020** जो कि याचिका में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, पर दोनों पक्षों को सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 11.12.1989 का अयाचीगण का रिजोल्यूशन (Resolution) दिनांक 19.05.2020 को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त होने पर उनकी जानकारी में आया था और इस याचिका में इसे चुनौती देना आवश्यक है। अतः वे अपनी याचिका को संशोधित करवाना चाहते हैं, इसके लिए अनुतोष मद में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अयाची रीको के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय यदि याची की ओर से वांछित संशोधन अनुमत करता है तो उन्हें इस सम्बन्ध में खण्डन करने का अवसर दिया जावे एवं गुणावगुण पर याचिका पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया जावे।

पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं रिट याचिका में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी जाती है।

संशोधित रिट याचिका पहले से ही अभिलेख पर है। अयाचीगण संशोधित याचिका का जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं तथा इस हेतु दो सप्ताह का समय चाहा।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

1/AJAY KUMAR SINGHAL